



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एवं उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदे । क्रमांक एफ-21/स्थापना/2022/4226-4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 12 जून 2024 को प्राधिकरण कार्यालय में सांय 04.30 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर सलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299, किस्म बारानी-प्रथम, कुल रकबा 18-10 बीघा में से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-कोकुण्डा हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299, किस्म बारानी-प्रथम, कुल रकबा 18-10 बीघा में से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-कोकुण्डा हेतु मार्गाधिकार निर्धारण करते हुए भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि.-कोकुण्डा, ग्राम विकास अधिकारी-ग्राम पंचायत कोकुण्डा व सरपंच-ग्राम पंचायत कोकुण्डा द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299, किस्म बारानी-प्रथम, कुल रकबा 18-10 बीघा में से 18 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299, किस्म बारानी-प्रथम, कुल रकबा 18-10 बीघा का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर लगभग 3 बीघा भूमि में विद्यालय भवन मय चारदीवारी निर्मित है। इस भूमि को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज खसरा संख्या 276, किस्म गै.मु. रास्ता से 35 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग प्रचलित मास्टर डवलपमेण्ट प्लान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवं **राजकीय** अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय को 24 मीटर (80 फीट सड़क) व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञापित दर्शाया गया है।



प्राधिकरण के कैंस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार सम्भागीय मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर तक क्षेत्र की भूमि स्थानीय निकाय द्वारा निःशुल्क आवंटित की जा सकती है। उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगे।

अतः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-कोकुण्डा हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि (भवन निर्मित मय चारदीवारी के अन्दर का क्षेत्रफल) का निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि.-कोकुण्डा, ग्राम विकास अधिकारी-ग्राम पंचायत कोकुण्डा व सरपंच-ग्राम पंचायत कोकुण्डा द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299, किस्म बारानी-प्रथम, कुल रकबा 18-10 बीघा में से 18 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 5000 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित करने की अभिंशा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन -1
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के प चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजस्व ग्राम बिरामी के खसरा संख्या 235, किस्म बारानी-प्रथम, कुल रकबा 45-10 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, बिरामी हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम बिरामी के खसरा संख्या 235, किस्म बारानी-प्रथम, कुल रकबा 45-10 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, बिरामी हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

RajKaj Ref
8468836

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिरामी में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100' x 100' वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 235, किस्म बारानी-प्रथम का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। प्रश्नगत भूमि को 30 फीट पहुँच मार्ग ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 396, गै.मु. रास्ता से प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण एरिया हेतु आरक्षित है तथा भू-उपयोग अनुज्ञेय है। आवेदित भूमि तक उपलब्ध पहुँच मार्ग ग्रामीण सड़क होने से न्यूनतम 100 फीट मार्गाधिकार रखा जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन व अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः प्रकरण में मार्गाधिकार का निर्धारण करते हुए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, बिरामी हेतु 500 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिरामी में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100' x 100' वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम बिरामी के खसरा संख्या 235 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, बिरामी हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -1
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 12-09 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, नान्दड़ा खुर्द हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

**RajKaj Ref
8468836**

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में
--------	-------------------------------------	---

	में घोषणा	अभिशांषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 12-09 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, नान्दड़ा खुर्द हेतु भूमि आवंटन की अभिशांषा की जाती है।

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द में 100' X 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, नान्दड़ा खुर्द हेतु आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 12-09 बीघा का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग इसी खसरे की भूमि से 30 फीट प्राप्त हो रहा है एवं इससे आगे कटाण रास्ता खसरा संख्या 93/1, गै.मु. सड़क से मिल रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग प्रचलित मास्टर प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा समीप से 24 मीटर से जोनल प्लान की सड़क गुजर रही है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन व अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः प्रकरण में मार्गाधिकार का निर्धारण करते हुए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, नान्दड़ा खुर्द हेतु 500 वर्गमीटर का निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द में 100' X 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, नान्दड़ा खुर्द हेतु आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031	उपायुक्त जोन -1

	के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 12-09 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 12-09 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 12-09 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। प्रश्नगत भूमि को ग्राम पंचायत के अधीन खसरा संख्या 147, गै.मु. रास्ता से 30 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग प्रचलित मास्टर प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा जोनल डवलपमेण्ट प्लान की 24 मीटर सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03/06/22 के अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोग को छोड़कर मास्टर प्लान के सभी भू-उपयोग अनुज्ञेय है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है। उक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जायेंगे।

अतः राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 12-09 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

**RajKaj Ref
8468836**

निर्णय

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 12-09 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा संख्या 93 में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -1
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम आकथली के खसरा संख्या 54, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 85-05 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, आकथली हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम आकथली के खसरा संख्या 54, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 85-05 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, आकथली हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम आकथली में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100' x 100' वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व पटवारी व सरपंच, ग्राम पंचायत आकथली से प्राप्त जानकारी अनुसार खसरा संख्या 54, किस्म गै.मु. गोचर का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है तथा बबूल की झाड़िया खड़ी है। प्रश्नगत भूमि को 30 फीट पहुँच मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 313/3, गै.मु. सड़क से प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण एरिया हेतु आरक्षित है तथा भू-उपयोग अनुज्ञेय है। पी.डब्ल्यू.डी. की ग्रामीण सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 100 फीट रखा जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

**RajKaj Ref
8468836**

प्राधिकरण के कैंस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन व अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः प्रकरण में मार्गाधिकार का निर्धारण करते हुए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, आकथली हेतु 500 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम आकथली में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100' X 100' वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम आकथली के खसरा संख्या 54 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, आकथली हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -1
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 6 :: राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् के खसरा संख्या 718 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खाराबेरा पुरोहितान् प्रयोजनार्थ निः शुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खाराबेरा पुरोहितान् प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् के खसरा संख्या 718 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 79.5449 हैक्टेयर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है, मौके पर रिक्त है एवं खाराबेरा पुरोहितान्- खाराबेरा भीमावतान् सड़क मार्ग पर स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की ग्रामीण एरिया में स्थित है, जिसमें आंशिक भाग में वृक्षारोपण हेतु आरक्षित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अनुज्ञेय किये जा सकते हैं यद्यपि उक्त को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई की सुनिश्चितता की जानी अपेक्षित है।

विधि शाखा के उपलब्ध पेडिंग ऑनलाईन केस मनेजमेंट सिस्टम के अनुसार खसरा संख्या 718 ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् के खसरा संख्या 718 में प. 3(55) चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक, प. 3(55) उपलब्ध विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् में राजकीय प. 3(55) चिकित्सा उपकेन्द्र खाराबेरा पुरोहितान् प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् के खसरा संख्या 718 में प. 3(55) चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए प्रस्तावित भूमि के ग्रामीण एरिया में 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -2
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 7 :: राजस्व ग्राम िंकारपुरा के खसरा संख्या 396 में प. 3(55) चिकित्सा उपकेन्द्र िंकारपुरा प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

संयुक्त निदेशक, प. 3(55) उपलब्ध विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम िंकारपुरा में राजकीय प. 3(55) चिकित्सा उपकेन्द्र िंकारपुरा प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार ग्राम िंकारपुरा के खसरा संख्या 396 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 20.6470 हैक्टेयर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के अनुसार प्रस्तावित भू-उपयोग यू-2 (अरबन एरिया) प्रयोजनार्थ आरक्षित है जिसकी डीसीआर अनुसार गर्वमेंट डिस्पेन्सरी न्यूनतम 18 मीटर सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है साथ ही राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार मास्टर **RajKaj Rafi** 8468836

इत्यादि को छोड़कर समस्त भू-उपयोगों में राजकीय गतिविधियां यथा प ु चिकित्सा केन्द्र आदि अनुज्ञेय किये जा सकते हैं।

पेडिंग ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार खसरा संख्या 396 ग्राम ि ाकारपुरा से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम ि ाकारपुरा के खसरा संख्या 396 में प ु चिकित्सा उपकेन्द्र ि ाकारपुरा प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निः शुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक, प ुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम ि ाकारपुरा में राजकीय प ु चिकित्सा उपकेन्द्र ि ाकारपुरा प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम ि ाकारपुरा के खसरा संख्या 396 में प ु चिकित्सा उपकेन्द्र ि ाकारपुरा हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -2
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजस्व ग्राम विश्णु नगर (धांधिया) के खसरा संख्या 53 में प ु चिकित्सा उपकेन्द्र विश्णु नगर प्रयोजनार्थ निः शुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

संयुक्त निदेशक, प ुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम विश्णु नगर (धांधिया) में राजकीय प ु चिकित्सा उपकेन्द्र विश्णु नगर प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार ग्राम विश्णु नगर (धांधिया) के खसरा संख्या 53 किस्म बारानी-तृतीय रकबा 17.16 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मौके पर रिक्त है।

**RajKaj Ref
8468836**

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की ग्रामीण एरिया में स्थित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। मौके पर प्रस्तावित ग्रामीण सड़क श्रेणी की मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 100 फीट सुनिश्चित की जाती है।

विधि शाखा के उपलब्ध पेडिंग ऑनलाईन केस मनेजमेंट सिस्टम के अनुसार खसरा संख्या 53 ग्राम विश्णु नगर (धांधिया) से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम विश्णु नगर (धांधिया) के खसरा संख्या 53 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र विश्णु नगर प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम विश्णु नगर (धांधिया) में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र विश्णु नगर प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम विश्णु नगर (धांधिया) के खसरा संख्या 53 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -2
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 09 :: राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 किस्म गै.मु. आबादी में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ सांगरिया को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 गै.मु. आबादी में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ सांगरिया को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

8468836

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सांगरिया खसरा संख्या 179 गै.मु. आबादी में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 रकबा 14.05 किस्म गै.मु. आबादी जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोग का छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं अनुज्ञेय किया जा सकेंगे। विधि शाखा अनुसार ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 में कोई वाद लम्बित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 गै.मु. आबादी में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 10 :: राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 में रकबा 1 बीघा किस्म गै. मु. आबादी भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 में रकबा 1 बीघा किस्म गै.मु. आबादी भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सांगरिया खसरा संख्या 179 में रकबा 1 बीघा भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 रकबा 14.5 किस्म गै.मु. आबादी जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण की आयोजना

शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। ZDP की 48 मीटर सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोग का छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं अनुज्ञेय किया जा सकेंगे। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 में कोई वाद लम्बित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 में रकबा 1 बीघा किस्म गै.मु. आबादी भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सांगरिया खसरा संख्या 179 में रकबा 1 बीघा भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 में राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 11 :: राजस्व ग्राम बडलीया के खसरा संख्या 161 किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ बडलीया को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम बडलीया के खसरा संख्या 161 किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ बडलीया को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बडलीया खसरा संख्या 161 किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडलीया के खसरा संख्या 161 रकबा 5.5927 है।

RajKsi Ref
8468836

दर्ज हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031 अनुसार भू-उपयोग ग्रामीण ऐरिया प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोग का छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं अनुज्ञेय किया जा सकेंगे। उक्त भूमि जोनल प्लान की 36 मीटर सड़क पर स्थित हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडलीया के खसरा संख्या 161 में कोई वाद लम्बित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम बडलीया के खसरा संख्या 161 किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ ग्राम बडलीया को निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बडलीया खसरा संख्या 161 किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम बडलीया के खसरा संख्या 161 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 133 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 133 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभि शंषा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 133 में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 133 रकबा 29 बिघा 13 बिस्वा किस्म गे.मु.गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध है।

**RajKaj Ref
8468836**

आयोजना भाखा की रिपोर्ट अनुसार The marked land is totally affected by MDP 60mt road and as per MDP 30m plantation belt is proposed along the mdp road. So proposal for new land should be on rear side of the marked land after MDP 30mt plantation. Landuse of the rear portion of the marked land is Highway corridor zone as per MDP 2031. The marked land is situated on MDP 60 MT road. As per DCR of jodhpur mdp report 2031 is Highway corridor zone landuse there there is no mention of Govt sub health center but as per UDH order dated 3/6/2022 govt hospital can be permissible I all landuse except restricted landuse. Thus as per UDH order dated 3/6/2022 Govt sub health center is permissible in Highway corridor zone landuse.

These are the Co-ordinates of the applied land area 26.321334* 72.817163*. Patwari/Jen upload only google image without mentioning co ordinates of the proposed land for allotment. Due to this we have to spend too much time to locate propsed land. Patwari/Jen need to provide any link or co-ordinates of the land.

The proposed land for the Veterinary Hospital falls under the 60m wide road and plantation belt as per MDP 2031. Thus, the proposal for the allotment shall be reanalyzed accordingly. forwarded for kind pursual and necessary action.

अवाप्ति भाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 133 के 1000 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 133 में वाद-विवाद लंबित है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 133 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 133 में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	बैठक में वाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वाद-विवाद लंबित होने के कारण प्रकरण निरस्त किया जावे।	उपायुक्त जोन -4

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम दुगर के खसरा संख्या 133 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र

हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम दुगर के खसरा संख्या 277 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम दुगर के खसरा संख्या 277 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम दुगर में पशु अस्पताल हेतु ग्राम दुगर के खसरा संख्या 277 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ठरडा जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार The proposed land of the veterinary hospital at Dugar falls under the Rural Area of the Master Development Plan- 2031 and is not affected by any MDP/ZDP proposed roads. As per State Govt. dated 03-06-2022, the public/land use is permissible in all land uses of the master development plan except for the notified restricted land uses and recreation land uses like parks, open spaces, etc. after approval from the state government.

ऑन लाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार ग्राम दुगर के खसरा संख्या 277 से संबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम दुगर में पशु चिकित्सालय हेतु कुल रकबा 100X100 भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम दुगर के खसरा संख्या 277 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ठरडा में पशु चिकित्सालय हेतु 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम दुगर के खसरा संख्या 277 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम दुगर के खसरा संख्या 277 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि नि: शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 317 में पम्प रूम का निर्माण हेतु भूमि

RajKaj Ref

आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में पम्प रूम का निर्माण हेतु 300 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभि शंषा की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर पम्प रूम का निर्माण हेतु ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर भूमि आवंटन की माँग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 रकबा 11-05 बीघा किस्म बरानी प्रथम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है तथा मुख्य झंवर रोड 200 फीट पर स्थित है प्रस्तावित भूमि के अक्षान्तर व दे ान्तर 26.240162 तथा 72.941982 है।

आयोजना भाखा की रिपोर्ट अनुसार, wide mdp road. As per DCR of jodhpur mdp report 2031 in residential landuse there is no mention of pump room but as per UDH order dated 3/6/2022 water distribution center can be permissible in all landuses except restricted landuses. Thus as per UDH order dated 3/6/2022 pump room can be permissible in residential landuse. The proposed land falls under the 60m wide road. Thus the proposal requires to be reanalyzed and proposed accordingly.

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में वाद-विवाद लंबित नहीं है।

राजकीय विभागों को उनके कार्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में पम्प रूम का निर्माण हेतु 300 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर पम्प रूम का निर्माण हेतु ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर भूमि आवंटन की माँग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पम्प रूम का निर्माण हेतु 300 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जाये।	उपायुक्त जोन -4

RajKaj Ref
8468836

02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना
-----	---	---------------

प्रस्ताव संख्या 15 :: राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम चिचंडली के खसरा संख्या 103 में भूमि आवंटन के संबंध में ।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम चिचंडली के खसरा संख्या 103 में 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र चिचंडली निर्माण हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चिचंडली में राजकीय पशु अस्पताल हेतु खसरा संख्या 103 रकबा 26.8306 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार The proposed land use of the said land is rural area and is not affected by any Master Development Plan/Zonal Development Plan Road. As per Rajasthan Govt. Order dated 03-06-2022, government health centers and public utilities can be permitted in all land uses of the master development plan except parks, open spaces, eco-sensitive zones ,plantation zones and ecological zones, and the restricted land uses of the master development plan as notified by the government of Rajasthan in all cities of the state. The land use change is not required and such matters can be permitted and approved at the local body level after approval of the state government. Thus, the applied veterinary hospital can be permitted .

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम चिचंडली के खसरा संख्या 103 में कोई वाद-विवाद लंबित नहीं है।

पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम चिचंडली के खसरा संख्या 103 किस्म गै. मु. गोचर में पशु चिकित्सालय हेतु 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र चिचंडली निर्माण हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम चिचंडली के खसरा संख्या 103 में 8465838 RajKaj Ref 8465838 पशु	उपायुक्त जोन -4

	चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि नि : जुल्क आवंटित की जावे।	
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 16 :: राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 2 में भूमि आवंटन के संबंध में ।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज / टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 2 में 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र गंगाणा निर्माण हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गंगाणा में पशु अस्पताल हेतु खसरा संख्या 2 रकबा 1.3759 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है में उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार The proposed land use of the said land is urban area (U2) and is not affected by any Master Development Plan/Zonal Development Plan Road. As per Rajasthan Govt. Order dated 03-06-2022, government health centers and public utilities can be permitted in all land uses of the master development plan except parks, open spaces, eco-sensitive zones, plantation zones and ecological zones, and the restricted land uses of the master development plan as notified by the government of Rajasthan in all cities of the state. The land use change is not required and such matters can be permitted and approved at the local body level after approval of the state government. Thus, the applied veterinary hospital can be permitted.

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 2 में कोई वाद-विवाद लंबित नहीं है।

पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 2 किस्म गै. मु. पहाड़ में पशु चिकित्सालय हेतु 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र गंगाणा निर्माण हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

**RajKaj Ref
8468836**

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी
-------	--------	----------------------------

		है।
01.	ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 2 में राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 17 :: राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम डोली के खसरा संख्या 220 में भूमि आवंटन के संबंध में ।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम डोली के खसरा संख्या 220 में 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र डोली निर्माण हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम डोली में राजकीय पशु अस्पताल हेतु खसरा संख्या 220 रकबा 94.0245 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार The proposed land falls under the land proposed for 90m wide road as per the Master Development Plan - 2031 .Thus , the proposal needs to be revised accordingly.

ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम डोली के खसरा संख्या 220 में कोई वाद-विवाद लंबित नहीं है।

पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम डोली के खसरा संख्या 220 किस्म गै. मु. गोचर में पशु चिकित्सालय हेतु 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र डोली निर्माण हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	RajKaj Ref 8468836	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
-------	--------	-------------------------------	--------------------------------

01.	ग्राम डोली के खसरा संख्या 220 में राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 18 :: ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 रकबा 172.6143 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि खाली हैं उक्त भूमि पंचायत भवन के पास में हैं एवं पहुंच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि का भू उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है, जिसमें न्यूनतम 60 फीट सड़क मार्गाधिकार पर राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र उपयोग अनुज्ञेय है तथा प्रस्तावित भूमि ग्रामीण सड़क पर स्थित है, जिसके मार्गाधिकार का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जावे।

ऑन लाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 से संबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5

02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना
-----	---	---------------

प्रस्ताव संख्या 19 :: ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 48 में राजकीय पट्टा चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंका/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 48 में राजकीय पट्टा चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की अभिशंका की गई है।

संयुक्त निदेशक, पट्टापालन विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 48 में राजकीय पट्टा चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 48 रकबा 17.4743 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध है। रोड से संबंधित कमिटमेंट प्राधिकरण के आयोजना भाखा के अन्तर्गत GIS Expert द्वारा संधारित किया जाता है प्राधिकरण की भू-अभिलेख भाखा द्वारा कमिटमेंट संबंधित अभिलेख का संधारण नहीं किया जाता है।

आयोजना भाखा की रिपोर्ट अनुसार Landuse of the marked land is Rural area as per MDP 2031 and the marked land is not affected by any MDP/ZDP road. The marked land is situated on ODR road. As per DCR of jodhpur mdp report 2031 in rural area landuse there is no mention of Govt vet hospital but as per UDH order dated 3/6/2022 govt. hospital can be permissible in all landuses except restricted landuse. Thus as per UDH order dated 3/6/2022 govt vet health sub center can be permissible in rural area landuse after decision by competent authority.

As this is already mentioned in noting that approach road to the applied land comes under category of ODR road so right of way of the road should be more than 100 feet and also there is a on going rasta on the right side of the plot which is not a revenue rasta but continuity of the road after the marked blue road is revenue rasta.

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार राजकीय भूमि चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 48 वाद-विवाद लंबित नहीं है।

पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 48 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सयुक्त निदेश 1क, प जुपालन विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 48 में राजकीय प जु चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 48 में राजकीय प जु चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेश 1क आयोजना

प्रस्ताव संख्या 20 :: ग्राम घंटियाला के खसरा संख्या 68 में राजकीय प जु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम घंटियाला के खसरा संख्या 68 में राजकीय प जु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

सयुक्त निदेश 1क, प जुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 प जुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजकीय प जु चिकित्सा उपकेन्द्र घंटियाला हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम घंटियाला के खसरा संख्या 68 रकबा 30.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है एवं पहुंच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध है, राजस्व रेकॉर्ड अनुसार भी आगे कटाणी मार्ग खसरा संख्या 550 किस्म गै.मु.रास्ता है। प्रस्तावित भूमि के पास कुछ समय पहले ग्राम पंचायत भवन घंटियाला हेतु भूमि आवंटन की हुई है जिसमें रोड का कमिटमेंट है। ग्राम घंटियाला के खसरा संख्या 68 में ग्राम पंचायत भवन को आवंटित भूमि के पट्टे की प्रति मय साईट प्लान, गुगल लोके इन आदि ग्राम पंचायत घंटियाला के आवंटन की पत्रावली में उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार land use is permible row of approach road 30m as per the report from zone. It would be appropriate to forward the file to the zone for further necessary action.

**RajKaj Ref
8468836**

अवाप्ति भाखा की रिपोर्ट अनुसार तहसील जोधपुर के राजस्व ग्राम घंटियाला के खसरा संख्या 68 के रकबा 5 बीघा भूमि राजकीय उप चिकित्सा केन्द्र हेतु पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

ऑनलाईन केस मेन्जमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम घंटियाला के खसरा संख्या 68 में वाद-विवाद लंबित नहीं है।

पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम घंटियाला के खसरा संख्या 68 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सयुक्त निदेश एक, प जुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 प जुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजकीय प जु चिकित्सा उपकेन्द्र घंटियाला हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम घंटियाला के खसरा संख्या 68 में राजकीय प जु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेश एक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 21 :: ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में टिप्पणियाँ	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

प्रधानाचार्य रा.उ.मा.विद्यालय भैसेर चावण्डियाली द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में खेल मैदान हेतु 8094 वर्गमीटर भूमि की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का मौका प्रधानाचार्य रा.उ.मा.विद्यालय भैसेर चावण्डियाली के साथ देखा गया। प्रस्तावित भूमि ग्राम भैसेर के खसरा संख्या 53 रकबा 795449 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में स्थित हैं जो प्राधिकरण के स्वामित्व भूमि हैं। उक्त भूमि मौके पर रिक्त हैं जो वर्तमान में संचालित विद्यालय से दूसरी जगह पर स्थित है। पूर्व में विद्यालय हेतु कोई भी भूमि आवंटन नहीं हुई है। उक्त भूमि के आगे डामर सड़क स्थित हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्राधिकरण की राजस्व ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त क्रम में लेख है कि प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की किसी भी प्रस्तावित सड़क से प्रभावित नहीं है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार व नगरीय विकास विभाग के आदे 1 दिनांक 03.06.2022 अनुसार प्रस्तावित भूमि पर खेल मैदान निर्माण हेतु अनुज्ञेय उपयोग है, अतः प्रकरण में प्रस्तावित भूमि तक न्यूनतम पहुंच मार्ग 60 फीट की सुनिश्चिता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 रकबा 8094 वर्गमी. भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

अतः भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 किस्म गै.मु. भाकर में खेल मैदान हेतु 8094 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

प्रधानाचार्य रा.उ.मा.विद्यालय भैसेर चावण्डियाली द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में खेल मैदान हेतु 8094 वर्गमीटर भूमि की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन -5

प्रस्ताव संख्या 22 :: ग्राम नारवा चारणान के खसरा संख्या 309 में रा.उ.प्रा. विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज/टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम नारवा चारणान के खसरा संख्या 309 में रा.उ.प्रा. विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नारवा चारणान के खसरा संख्या 309 में रा.उ.प्रा. विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारवा चारणान के खसरा संख्या 309 रकबा 30.0681 किस्म गै.मु. पहाड़ में स्थित है जिसका राजस्व रेकर्ड अनुसार स्वामित्व प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। प्रस्तावित भूमि गणेश आदान जी की प्याउ से नारवा चारणान रोड़ पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि के आगे पहुंच मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो ग्राम नारवा चारणान के खसरा संख्या 240 किस्म गै.मु.रास्ता है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट Land use of the marked land is rural area as per MDP part plan the marked land is situated on Village road. As per DCR, in Rural land use Sec and Sr Sec School can be permissible on 60 feet and above road.

As per GIS there are no commitments on the approach road but allotments are not marked on GIS so such commitments need to be verified at Zone level.

The Road Row of the village road should be considered 100 FT (30M) Also check previous commitments/allotments at zone level.

ऑन लाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार ग्राम नरवा चारणान के खसरा संख्या 309 से संबंधित कोई वाद-विवाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम नरवा चारणान् संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 309 के रकबा 4000 व.मी. भूमि रा.उ.मा.वि. हेतु पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्राक प.3(55) नवि/03/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 5 जुलाई 2021 के आदेश अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम नरवा चारणान् के खसरा संख्या 309 किस्म गै.मु. पहाड में रा.उ.प्रा. विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नरवा चारणान के खसरा संख्या 309 में रा.उ.प्रा. विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम नरवा चारणान के खसरा संख्या 309 में रा.उ.प्रा. विद्यालय हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 2000 वर्गमीटर भूमि नि: शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 23 :: ग्राम सन्तोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।

RajKaj Ref
8468836

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम सन्तोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम सन्तोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सन्तोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 रकबा 16.0660 किस्म गै.मु. गोचर में स्थित है जिसका राजस्व रेकॉर्ड अनुसार स्वामित्व प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। प्रस्तावित भूमि सन्तोडा से मालूंगा जाने वाली रोड़ पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि के आगे पहुंच मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जो ग्राम सन्तोडा खुर्द के खसरा संख्या 140 किस्म गै.मु. रास्ता है उक्त रास्ते पर खेल मैदान हेतु एक अन्य पत्रावली भी प्राधिकरण में प्रक्रियाधीन है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट Land use of the marked land is rural area as per MDP part plan the marked land is situated on Village road. As per DCR, in Rural landuse there is no mention of Aanganwadi but as per UDH order dated 3/6/2022 which state that " राज्य के समस्त भाहरो के मास्टर प्लान/जोनल डेवलपमेंट प्लान मे प्रस्तावित भू-उपयोग यथा – पार्क, खुले-स्थान, एको सेंसिटिव जोन, प्लांटेड जोन एवं इकोलॉजिकल जोन तथा जयपुर एवं उदयपुर मास्टर प्लान एवं अन्य भाहरो के मास्टर प्लान के अंतर्गत नगरिया G-1,G-2 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोडकर नगरिया क्षेत्र में अन्य सभी भू-उपयोगों में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों, राजकीय सामुदायिक भवन, राजकीय भौक्षणिक, राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं, सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, रीजनल/सिटी लेवल पार्क व अन्य खुले स्थल, पक्षी अभ्यारण्य वनस्पति, पार्क, खुले मैदान, स्टेडियम (इंडोर, आउट डोर),स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, जन उपयोगी सुविधाएं तथा सीवरेज, ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रिड सुब स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस लाईन, पुलिस चौकी/थाना, एकड़ घर, टेलीफोन एक्सचेंज, अग्नि शमन केन्द्र, भूमि, कब्रिस्तान, परकीय स्थल, बस स्टैंड/ बस स्टॉप, हेलिपैड, रेलवे/आर्मी विभाग की भूमि पर उनके द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग, टाउन हॉल, डेरी बूथ, भौचालय इत्यादि सुविधाएं अनुज्ञेय किये जा सकते है। इसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। इसे प्रकरणों में समस्त क्षेत्रफल हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर, निर्णय की राज्य सरकार से स्विकृति उपरांत राजकीय विभागों एवं प्राधिकरणों/न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।" Thus as per this order Aaganwadi can be permissible after decision taken competent authority.

As per GIS there are no commitments on the approach road but allotments are not marked on GIS so such commitments need to be verified at Zone level.

making compliance of earlier commitments and maintaining the Row of approach road as min 100 feet, further pr **8468836** allotment may be proceed at zone level please.

ऑन लाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 से संबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 के रकबा 1 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदे 1 दिनांक 5 जुलाई 2021 के अनुसार राजकीय विभागों के उनके कार्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्ग मी. भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 किस्म गै.मु. गोचर में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 24 :: ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 रकबा 12.1972 हैक्टेयर किस्म गै.मु. पहाड़ में स्थित है जिसका राजस्व रेकॉर्ड अनुसार स्वामित्व प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। प्रस्तावित भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीर तेजा नगर के पास स्थित है। प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग खसरा संख्या 64 में से ही उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट Land of the applied land as per MDP part plan is rural area and the said land is not situated on any MDP/VR/ODR road but the applied land is directly connected to the Village road (annotated as Green in road network) on the south side of the applied land via on-site road (annotated as Red in road network) As

per DCR in Rural land use, there is no mention on Aaganwadi but as per UDH order Dated 3/6/2022 Aaganwadi can be permissible in Rural landuse.

As per GIS there are no commitments on the approach road but allotments are not marked on GIS so such commitments need to be verified at Zone level.

maintaining the RoW of approach road as earlier decided in earlier commitments (if any) or minimum 18m (whichever is higher), further process of allotment may be proceed at zone level please

ऑन लाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 से संबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 के रकबा 1 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्राक प.3(55) नविवि/03/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 5 जुलाई 2021 के आदे अनुसार राजकीय विभागों को उनके कार्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 किस्म किस्म गै.मु. पहाड़ में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 500 व.मी. भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम वीर तेजा नगर के खसरा संख्या 64 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि नि: शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 25 :: ग्राम रामपुरा भाटियान में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम रामपुरा भाटियान में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

**RajKaj Ref
8468836**

सयुक्त निदेश 1क, प गुपालन विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम रामपुरा भाटियान में राजकीय प गु चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम रामपुराभाटियान के खसरा संख्या 564 रकबा 5.4713 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में है। राजस्व रेकॉर्ड अनुसार प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध है।

आयोजना भाखा की रिपोर्ट अनुसार the proposed use is permissible as per MDP2031 and Govt Order dt 3.6.22 subject to maintaining the village road RoW as min 30 meters or as per earlier commitment (whichever is higher) Kindly peruse the matter for further process at Zone level.

प्रस्तावित भूमि तक न्यूनतम 60 फीट पहुंच मार्ग की सुनिश्चिता करते हुये नियमानुसार भूमि आवंटन बाबत आवेदन एक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

मार्गाधिकार के संबंध में पटवारी की रिपोर्ट आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। आवेदित भूमि के आगे मौके पर 30 फीट रास्ता उपलब्ध है। राजस्व रेकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 541 रकबा 2.7519 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता का स्वामित्व ग्राम पंचायत के अधीन है। उक्त रास्ता आवेदित भूमि के आगे राजस्व रेकॉर्ड में 4 गटटा (6.6*4=26-4 फीट) है।

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा संख्या 564 वाद-विवाद लंबित नहीं है।

पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा संख्या 564 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सयुक्त निदेश 1क, प गुपालन विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम रामपुरा भाटियान में राजकीय प गु चिकित्सा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम रामपुरा भाटियान में राजकीय प गु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुवे 500 वर्गमीटर भूमि नि: शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5

**RajKaj Ref
8468836**

02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना
-----	---	---------------

प्रस्ताव संख्या 26 :: ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

शिक्षा विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 में खेल मैदान हेतु 15 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम संतोडाखुर्द के खसरा संख्या 70 रकबा 9.0164 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में है। राजस्व रेकॉर्ड अनुसार प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध है।

प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध है। प्रस्तावित भूमि के आगे डामर सड़क संतोडा से मालूंगा जाने का रास्ता है जो राजस्व रेकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 140 किस्म गै.मु.रास्ता है जो वक्त सेटलमेंट से कटाणी रास्ता दर्ज है जो मौके पर लगभग 20 फीट चौड़ा है।

राजस्व रेकॉर्ड में खसरा संख्या 140 किस्म गै.मु.रास्ता प्रस्तावित भूमि के आगे 3 गट्टा (6.6*3= 19.8 फीट) चौड़ाई का है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि (location marked by patwari) का भू-उपयोग MDP-2031 की ग्रामीण DCR अनुसार Playground 18m व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है।

Proposed land has found vacant as enclosed in pera 4 Map there are LT line exist over road part.

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 वाद-विवाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 रकबा 15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

अतः ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 किस्म गै.मु. गोचर में खेल मैदान हेतु 15 बीघा भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

BajKaj Ref
निर्णय
8438836

शिक्षा विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 में खेल मैदान हेतु 15 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन -5

प्रस्ताव संख्या 27 :: ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

कृषि विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु 02 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 रकबा 16.0660 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध है। उक्त प्रस्तावित स्थल पूर्व में प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट The marked land is situated on village road. As per DCR, in Rural land use there is no mention of Govt office like Krishi sewa kendra but as per UDH order dated 3/6/2022 which state that " राज्य के समस्त भाहरों के मास्टर प्लान/जोनल डेवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग यथा - पार्क, खुले-स्थान, एको सेंसिटिव जोन, प्लांटे इन जोन एवं इकोलॉजिकल जोन तथा जयपुर एवं उदयपुर मास्टर प्लान एवं अन्य भाहरों के मास्टर प्लान के अंतर्गत नगरिया G-1,G-2 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर नगरिया क्षेत्र में अन्य सभी भू-उपयोगों में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों, राजकीय सामुदायिक भवन, राजकीय भौक्षणिक, राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं, सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रि शिक्षण संस्थान, रीजनल/सिटी लेवल पार्क व अन्य खुले स्थल, पक्षी अभ्यारण्य वनस्पति, पार्क, खुले मैदान, स्टेडियम (इंडोर, आउट डोर),स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, जन उपयोगी सुविधाएं तथा सीवरेज, ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रिड सुब स्टे इन, जल आपूर्ति केन्द्र, वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस लाईन, पुलिस चौकी/थाना, एकड़ घर, टेलीफोन एक्सचेंज, अग्नि तामन केन्द्र, भम तान, कब्रिस्तान, परकीय स्थल, बस स्टैंड/ बस स्टॉप, हेलिपैड, रेलवे/आर्मी विभाग की भूमि पर उनके द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग, टाउन हॉल, डेरी बूथ, भौचालय इत्यादि सुविधाएं अनुज्ञेय किये जा सकते है। इसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवकता नहीं होगी। इसे प्रकरणों में समस्त क्षेत्रफल हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर, निर्णय की राज्य सरकार से स्वीकृति उपरांत राजकीय विभागों एवं प्राधिकरणों/न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।"

Thus as per this order the applied use can be permissible after decision taken competent authority.

As per GIS there are no commitments on the approach road but allotments are not marked on GIS so such commitments need to be verified at Zone level.

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 वाद-विवाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 कुल रकबा 2 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग आदे 1 दिनांक 5 जुलाई 2021 के अनुसार राजकीय विभागों को उनके कार्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 किस्म गै.मु. गोचर में कृषि सेवा केन्द्र हेतु 500 व.मी. भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

कृषि विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु 02 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 1000 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 28 :: ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में पटवार भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में पटवार भवन हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

तहसीलदार तिवरी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में पटवार भवन हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 रकबा 16.0660 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में है। जिसका राजस्व रेकॉर्ड अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि मौके पर खाली हैं प्रस्तावित भूमि संतोडा से मालूंगा जाने वाली रोड पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि के आगे पहुंच मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जो ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 14 किस्म गै.मु. रास्ता है उक्त रास्ते पर खेल मैदान हेतु एक अन्य पत्रावली भी प्राधिकरण में प्रक्रियाधीन हैं।

**RajKaj Ref
8468836**

आयोजना शाखा की रिपोर्ट land use of the applied land KH. NO 135, village santoda khurd as per MDP 2031 part is Rural area. The applied land is situated on Village road. The applied is not affected by any road/ water body. As per MDP report 2031 DCR in Rural area landuse, there is no mention of Patwar bhawan/Gov offices but as per UDH order dated, 3/6/2022 which state that “ राज्य के समस्त भाहरो के मास्टर प्लान/जोनल डेवलपमेंट प्लान मे प्रस्तावित भू-उपयोग यथा – पार्क, खुले-स्थान, एको सेंसिटिव जोन, प्लांटे इन जोन एवं इकोलॉजिकल जोन तथा जयपुर एवं उदयपुर मास्टर प्लान एवं अन्य भाहरों के मास्टर प्लान के अंतर्गत नगरिया G-1,G-2 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोडकर नगरिया क्षेत्र में अन्य सभी भू-उपयोगों में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों, राजकीय सामुदायिक भवन, राजकीय भौक्षणिक, राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं, सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रिाक्षण संस्थान, रीजनल/सिटी लेवल पार्क व अन्य खुले स्थल, पक्षी अभ्यारण्य वनस्पति, पार्क, खुले मैदान, स्टेडियम (इंडोर, आउट डोर),स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, जन उपयोगी सुविधाएं तथा सीवरेज, ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रिड सुब स्टे इन, जल आपूर्ति केन्द्र, वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस लाईन, पुलिस चौकी/थाना, एकड़ घर, टेलीफोन एक्सचेंज, अग्नि ामन केन्द्र, भम ान, कब्रिस्तान, परकीय स्थल, बस स्टैंड/ बस स्टॉप, हेलिपैड, रेलवे/आर्मी विभाग की भूमि पर उनके द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग, टाउन हॉल, डेरी बूथ, भौचालय इत्यादि सुविधाएं अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। इसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आव यकता नहीं होगी। इसे प्रकरणों में समस्त क्षेत्रफल हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर, निर्णय की राज्य सरकार से स्विकृति उपरांत राजकीय विभागों एवं प्राधिकरणों/न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।”

Thus Patwar bhawan can be permissible Rural Landuse.

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 वाद-विवाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति भाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 कुल रकबा 4000 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति भाखा में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदे 1 दिनांक 5 जुलाई 2021 के अनुसार राजकीय विभागो के उनके कार्यालय इन्फ्राट्रक्चर हेतु 1000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 किस्म गै.मु. गोचर में पटवार भवन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

तहसीलदार तिवरी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में पटवार भवन हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में पटवार भवन हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 1000 वर्गमीटर भूमि नि: ़ुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5

**RajKaj Ref
8468836**

02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना
-----	---	---------------

प्रस्ताव संख्या 29 :: राजस्व ग्राम दर्इजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषांशा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम दर्इजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवीजीएसएस हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	राजस्व ग्राम दर्इजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवीजीएसएस हेतु भूमि आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम दर्इजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवीजीएसएस हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम दर्इजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवीजीएसएस हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। कुल क्षेत्रफल 70.17 बीघा भूमि किस्म गै.मु. मंगरा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। मौका निरिक्षण उक्त भूमि में पत्थर डाले हुए है। पत्थरो की दिवार बनाकर एक गेट लगा हुआ है। अतिक्रमण हेतु कार्यवाही तहसीलदार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का डक्.2031 अनुसार भू-उपयोग मुख्यतः यू-2 व आशिक आवासीय है। उक्त भूमि डक् की 60 फीट सडक पर स्थित है। डीसीआर अनुसार यू-2 उपयोग में इलेक्ट्रीक पॉवर प्लान्ट 132/33/220/440 केवी जीएसएस 18एम व अधिक सडक पर अनुज्ञेय है तथा रहवासीय भू-उपयोग डीसीआर में जीएसएस का अलग से उल्लेख नहीं है परन्तु यूडीएच ऑर्डर दिनांक 3.6.2022 के अनुसार राज्य में समस्त शहरों के डक् - 'क' में प्रस्तावित भू-उपयोगो यथा पार्क, खुले स्थान, ईको सेंसेटीव जोन, प्लान्टेशन जोन एवं इकॉलोजीकल जोन के अलावा नगरीय क्षेत्र में सभी उपयोगो में राजकीय भूमि पर ग्रिड सब स्टेशन किये जाते है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद-विवाद लम्बित नहीं है।

उक्त प्रकरण में निर्धारित प्रपत्र में जेडीए की वैब साईट पर दिनांक 14.3.2024 आपत्ति सूचना जारी की जा चुकी है निर्धारित समय में तीन आपत्तियाँ प्राप्त हुई है। आपत्तिकर्ता को सुनवाई हेतु बुलाया गया परन्तु निश्चित समयावधि में आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं हुए। आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है।

अतः राजस्व ग्राम दर्इजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवीजीएसएस हेतु भूमि आवंटन की स्वीकृति का प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय
RajKaj Ref
8468836

अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम दर्ज़र के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवीजीएसएस हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम दर्ज़र के खसरा संख्या 105 में केवीजीएसएस हेतु अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) जोधपुर को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए 2000 वर्गमीटर भूमि स जुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -6
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेमेन्ट दर्ज़ किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 30 :: राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 55 में 9000 व.मी. भूमि कम्पनी कमाण्डर, एफ कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जोधपुर को भूमि आवंटित करने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में टोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषांशा / प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 55 में 9000 व.मी. भूमि कम्पनी कमाण्डर, एफ कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जोधपुर को भूमि आवंटित करने बाबत।	राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 55 में 9000 व.मी. भूमि कम्पनी कमाण्डर, एफ कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जोधपुर को भूमि आवंटित की अभिषांशा की जाती है।

कम्पनी कमाण्डर, एफ कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 55 में 9000 व.मी. भूमि कार्यालय, स्टोर, वाहन पार्किंग स्थल शारीरिक अभ्यास, प्रशिक्षण एवं आवासीय परिसर आदि निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 55 में कम्पनी कमाण्डर, एफ कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जोधपुर द्वारा कम्पनी मुख्यालय बनाने हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। उक्त भूमि का मौका देखा गया एवं उक्त भूमि पहाड़ी अथवा पठारी किस्म की है एवं एच. टी. लाईन गुजर रही है। उक्त भूमि जोधपुर नागौर एन.एच. से 500 मी. दुरी पर स्थित है। खसरा सं 55 रकबा 70.9 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर नाम दर्ज़ है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि जो गुगल मैप में दर्शाई गई है। जेड.डी.पी. के अनुसार भूमि वेयर हाउसिंग एवं गोदाम के अन्तर्गत वाणिज्यिक एवं इण्डस्ट्रियल भू-उपयोग पार्ट प्लान का भाग वाटर बॉडी एवं प्लानटेशन के अन्दर आता है। जेड.डी.पी. के अनुसार एच.टी. लाईन (132 केवी, 220 केवी) भूमि पर दर्शायी गई है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 3.6.2022 के अनुसार निर्णय किया जा सकता है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद-विवाद लम्बित नहीं है।

RajKajReI
8468836

उक्त प्रकरण में निर्धारित प्रपत्र में जेडीए की वेब साईट पर दिनांक 20.4.2023 आपत्ति सूचना जारी की जा चुकी है निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

भूमि आवंटन नीति-2015 के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू संख्या 9.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पोषित निगम एवं उपक्रम को इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 व.मी. भूमि आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति से आवंटन करने का प्रावधान है। इस प्रकार उक्त प्रकरण भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है।

अतः राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 55 मे कम्पनी कमाण्डर, एफ कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जोधपुर को 9000 व.मी. राज्य आपदा प्रतिसाद बल हेतु कीमतन भूमि आवंटन की स्वीकृति का प्रकरण समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

कम्पनी कमाण्डर, एफ कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 55 मे 9000 व.मी. भूमि कार्यालय, स्टोर, वाहन पार्किंग स्थल शारीरिक अभ्यास, प्रशिक्षण एवं आवासीय परिसर आदि निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	उपरोक्त प्रकरण में उपायुक्त जोन-6 द्वारा अवगत करवाया गया की खसरा संख्या 55 में उक्त भूमि बे किमती होने कारण प्राधिकरण को अधिक आय होने की सम्भावना है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से कम्पनी कमाण्डर, एफ कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जोधपुर को अन्यत्र जगह भूमि आवंटित करने हेतु भूमि चिह्नित कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन -6

प्रस्ताव संख्या 31 :: राजस्व ग्राम जोइन्तरा के खसरा संख्या 189/1 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषांशा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम जोइन्तरा के खसरा संख्या 189/1 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन	राजस्व ग्राम जोइन्तरा के खसरा संख्या 189/1 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जोइन्तरा के खसरा संख्या 189/1 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

8468836

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जोइन्तरा के खसरा संख्या 189 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। कुल रकबा 33.9780 हेक्टेयर भूमि किस्म गै.मु. गौचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। जो मौके पर रिक्त पड़ी है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार एमडीपी 2031 के अनुसार चिह्नित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है और चिह्नित भूमि किसी भी एमडीपी/जेडडीपी सड़क से प्रभावित नहीं है। चिह्नित भूमि गांव की सड़क पर स्थित है। जोधपुर एमडीपी रिपोर्ट 2031 की डीसीआर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के भू-उपयोग में सरकारी पशु चिकित्सालय का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यूडीएच आदेश दिनांक 3/6/2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोगों को छोड़कर सभी भू-उपयोगों में सरकारी अस्पताल अनुमेय हो सकता है। इस प्रकार यूडीएच आदेश दिनांक 3/6/2022 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बाद ग्रामीण क्षेत्र के भू-उपयोग में सरकारी पशु चिकित्सालय अनुमेय हो सकता है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि लागू भूमि तक पहुंचने वाली सड़क गांव की सड़क की श्रेणी में आती है, इसलिए बेहतर वाहनों की आवाजाही के साथ-साथ गांव की आबादी के भविष्य के विस्तार के लिए सड़क का अधिकार 100 फीट होना चाहिए। मार्गाधिकार हेतु तहसीदार बावडी को पत्र जारी किया जा चुका है।

अतः राजस्व ग्राम जोइन्तरा के खसरा संख्या 189/1 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की स्वीकृति का प्रकरण समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जोइन्तरा के खसरा संख्या 189/1 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम जोइन्तरा के खसरा संख्या 189/1 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि नि: शुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -6
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना
प्रस्ताव संख्या 32 :: राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।		

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषांशा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन	राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

**RajKaj Ref
8468836**

सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। कुल रकबा 41.06 बीघा भूमि किस्म गै.मु. गौचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। जो पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु उपयुक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राज्य के समस्त शहरो के मास्टर प्लान/जोनल डेवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग यथा – पार्क , खुले – स्थल , एको सेंसिटिव जोन , प्लांटेशन जोन एवं इकोलॉजिकल जोन तथा जयपुर एवं उदैपुर मास्टर प्लान एवं अन्य सहरो के मास्टर प्लान के अंतर्गत नगरिया जी -1, जी-2 एवं राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर नगरिया क्षेत्र में अन्य सभी भू-उपयोगों में केंद्र / राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों , राजकीय सामुदायिक भवन , राजकीय शैक्षणिक , राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाए , सरकारी / अर्द्ध सरकारी प्रिक्षण संस्थान , रीजनल/सिटी लेवल पार्क व अन्य खुले स्थल , पक्षी अभ्यारण्य वनस्पति , पार्क , खुले मैदान , स्टेडियम (इंडोर .आउट डोर), स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स , जन उपयोगी सुविधाए तथा – सीवरेज , ट्रीटमेंट प्लांट , ग्रिड सुब स्टेशन , जल आपूर्ति केंद्र , वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लांट , पुलिस लाइन , पुलिस चौकी , / थाना, एकड़ घर , टेलीफोन एक्सचेंज , अग्निशमन केंद्र , श्मशान , कब्रिस्थान , परकीय स्थल , बस स्टैंड / बस स्टॉप , हेलिपैड , रेलवे / आर्मी विभाग की भूमि पर उनके द्वारा प्रस्तावित भू – उपयोग , टाउन हॉल , डेरी बूथ , शौचालय इत्यादि सुविधाए अनुज्ञेय किये जा सकते हैं

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 121 ग्राम खोखरिया से संबंधित जनहित याचिका संख्या 16779/2019 घेवरराम व अन्य बनाम राज्य व अन्य माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.2024 के द्वारा खारिज कर दी गई है। मार्गाधिकार हेतु तहसीदार बावडी को पत्र जारी किया जा चुका है।

अतः राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की स्वीकृति का प्रकरण समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 में 100 बाय 100 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु MDP/ZDP-2031 के तहत	उपायुक्त जोन -6

	नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए 500 वर्गमीटर भूमि निः शुल्क आवंटित की जावे।	
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक / बैठक / 2024 /

दिनांक:- 2024

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष / आयुक्त महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
- 2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
- 3 निदेशक, अभियांत्रिकी / आयोजना / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 4 उपायुक्त-जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 6

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

परिशिष्ट -1

श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12 जून , 2024 को सांय 04.30 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

01. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।

02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री जयपाल सिंह राठौड , उपायुक्त जोन-3/4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्रीमति कचन राठौड, उपायुक्त जोन -5/6, उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री राजपाल यादव , उपायुक्त जोन-1/2, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री जगदीश कुमार, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
08. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।